N.P.E (1986)
National Policy on Education
राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया और इसको शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenges of Education policy Prespective) के नाम से 1983 में प्रकाशित भी करवाया, ताकि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE भी काफी सीमा तक कोठारी आयोग के प्रयोजन एवं अनुशंसा को ध्यान में रखा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा - एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए को वरियता देने का सिद्धान्त लागू किया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले समय को महाधिकार पत्र माना गया।

Page No.
Date: / /

N.P.E के महत्व पूर्ण बिन्दु ⇒

1 गांधी के विचारो के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयो की स्थापना

2- इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश्व विद्यालयो और दूरस्थ अध्ययन पर बल।

3- शिक्षा को सार्वभौमिक पहुँच भी कहा जा सकता है, इसको समानता के लिए शिक्षा की अवधारणा भी कह सकते है।

4 सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यो पर आधारित शिक्षा पर बल

5 शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण

6- शिक्षको की शिक्षा इस बात का विशेष अध्यापको उल्लेख किया गया कि किसी भी देश के लोगो का स्तर उनके अध्यापको के स्तर से ऊँचा नही हो सकता है।

7- समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए इसमे प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा को आधार भूत पाठ्यक्रम माना गया जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यो और वैज्ञानिकता का विकास के

⇒ 10+2 स्तर पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना। तथा व्यवसायिक शिक्षा को प्रदान करना।

⇒ 10+2+3 स्तर पर छात्रों को उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना तथा विभिन्न विधाओं की शिक्षा दिया जाना जिसमें चिकित्सा, न्याय, कृषि विज्ञान तथा तकनीकि शिक्षा को प्रदान किया जाना है, इससे राष्ट्रीय विकास की सम्भावना भी बनती है।

(8) प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करना जो कि बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श होगा।

(9) उच्च शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए मुक्त या खुले विद्यालयों की स्थापना करना

(10) भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् को कानूनी अधिकार प्रदान करना ताकि निम्न स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बन्द किया जा सके। तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वालों को प्रोत्साहित किया जाय

11 परीक्षा प्रणाली और मुल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाय

Page No.
Date : / /

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कार्ययोजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 05 वर्ष के बाद इसके कार्यान्वयन तथा परिणामों की समीक्षा की जायेगी पर सरकार ने केवल 03 वर्ष बाद 1990 मे इसकी समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति की स्थापना कर दी और उसकी समीक्षा से पूर्व ही 1992 मे जनार्दन रेड्डी समिति की स्थापना कर दी तब इन दोनो के समायोजन से वर्ष 1986 की राष्ट्रीय नीति मे कुछ संशोधन किए तथा इसका नाम संशोधित राष्ट्रीय नीति के नाम से प्रकाशित किया कुछ विद्वान भूल से इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सरकार ने परिवर्तित कार्य योजना को 1992 का नाम दिया।

शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बताया गया, शिक्षा को उत्तम निवेश माना गया वर्ष 1966 और वर्ष 1986 की अनुशंसाओ की तरह शिक्षा मे भी 6 या उससे अधिक निवेश की बात कही गयी।

1- पूरे देश मे +2 अधिक संगठित बनाना।
2- समग्र साक्षरता पर बल दिया गया।
3- राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र साक्षरता योजना को निर्धनता, निवारण, राष्ट्र एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समता को प्रोत्साहन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मंत्रालय या विभाग है। शिक्षा मंत्रालय को पुनर्गठित करके इस मंत्रालय का विकास किया गया 26 सितम्बर 1985 बाद इस मंत्रालय को गठित करने का निर्णय हुआ 1986 में भारत के भू०पू० प्रधान मंत्री राजीव गाँधी ने शिक्षा मंत्रालय को पुर्नगठित करके केन्द्र स्तर केन्द्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की यह सम्पूर्ण मानव के विकास और संसाधनो की व्यवस्था करता है। आधुनिक समय में शिक्षा मंत्रालय इसका केन्द्रिय अंग है। इसकी देख भाल केन्द्रिय स्तर का मंत्री करता है। यह कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। जिसके अधिनस्त शिक्षा सम्बन्धी दायित्वो को पूरा करने के लिए एक राज्यमंत्री तथा एक उपमंत्री होता है।

शिक्षा मंत्रालय के विभाग

शिक्षा के दायित्व का निर्वहन करने के लिए निम्न लिखित विभाग होते है।

Page No.
Date: / /

शिक्षा मंत्रालय के विभाग

(1) साहित्य, ललित कला तथा मनोरंजन विभाग
(2) प्रशासकीय एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग।
(3) छात्रवृत्ति एवं भाषा विज्ञान विभाग।
(4) यूनेस्को विभाग।
(5) उच्च शिक्षा विभाग।
(6) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा योजना समन्वय
(7) विद्यालय शिक्षा

शिक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री परिषद्

(1) अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा समिति।
(2) अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा परिषद्।
(3) राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति।
(4) केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद्।
(5) हिन्दी शिक्षा समिति।
(6) जीव विज्ञान केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद्।
(7) केन्द्रीय संस्कृत परिषद्।
(8) अखिल भारतीय खेल कूद परिषद्।
(9) शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परमर्शदात्री परिषद्।
(10) राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति।